उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपकम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14– अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001.
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या :–347–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020–3(1) विविध / ई0एम–03 / 2019 दिनांकः 6/3/फरवरी, 2020

पंजीकृत / ई–मेल

1. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

विषय :– सेवानैवृत्तिक देयों की स्वीकृति हेतु, प्रचलित जांच, विभागीय व न्यायिक कार्यवाही तथा विविध अग्रिम की वसूली की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ताओं / अधिशासी अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं / मुख्य अभियन्ताओं व उनके समकक्ष स्तर के अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक देयों की प्रशासनिक स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने से पूर्व उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही एवं सतर्कता, शिकायत एवं जांच अनुभागों (05ए / 05बी / 05सी / 05डी / 05ई एवं 05एफ), मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित जांच, विभागीय व न्यायिक कार्यवाही एवं विविध अग्रिम आदि की सूचनायें प्राप्त होने के उपरान्त, अनन्तिम पेंशन व पेंशन / ग्रेच्युटी की प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत की जाती हैं।

कतिपय मामलों में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि अवर अभियन्ता पद से प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के विरूद्ध पारित दण्डादेशों एवं विविध अग्रिम आदि की वसूली का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाने के कारण, उ0प्र0 शासन के समक्ष काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है व कारपोरेशन की क्षति हुई है तथा तत्सम्बन्धित मामले मा0 न्यायालयों के समक्ष वर्षों तक लम्बित रहने के कारण अनावश्यक रूप से कारपोरेशन का नुकसान होता है।

अतः सहायक अभियन्ताओं / अधिशासी अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं / मुख्य अभियन्ताओं व उनके समकक्ष स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित जांच, विभागीय व न्यायिक कार्यवाही एवं विविध अग्रिम, प्रत्याप्ति आदि की सूचनायें पत्र प्राप्ति के 15 दिवसों में कारपोरेशन मुख्यालय को पत्र व ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसस कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक देयों की प्रशासनिक स्वीकृतियां स–समय निर्गत किया जाना सम्भव हो सके।

उक्त निर्धारित अवधि में डिस्काम द्वारा अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध नही करायी जाती हैं तो, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय स्तर पर यह मानते हुए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरूद्ध डिस्कॉम स्तर पर कोई प्रकरण लम्बित नहीं है, के ध्यानस्थ सेवानैवृत्तिक देयों की प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत कर दी

—2—

जायेंगी। यदि भविष्य में किसी सेवानिवृत्त अधिकारी के विरूद्ध कोई प्रकरण लम्बित पाया जाता है व किसी प्रकार की वसूली शेष पायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित डिस्काम उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्याः–347(1)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2020 तद् दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

स्पीड पोस्ट/ ई–मेल

1– निजी सचिव, सम्बद्ध–अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– निजी सचिव, सम्बद्ध–अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– निजी सचिव, सम्बद्ध–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ एवं मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
5– अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– संयुक्त सचिव–(अ0प्र0–01)/(अ0प्र0–02)/(स0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– उप सचिव, अ0प्र0–(2अ/2ब/03/04), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8– अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9– समस्त अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

प्रतिः–कट फाईल।